

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

—: विविध आदेश :—

क्रमांक : क्यू-9/जिला एवं सत्र न्याया./2020

कटनी, दि.17.04.2020


माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर, के ज्ञापन कं.Reg(IT)(SA)/2020 Jabalpur, Dated 15-04-2020 के संदर्भ में एवं Urgent प्रकरणों की वीडियो कांफ्रेंसिंग आदि के माध्यम से सुनवाई/Urgent प्रकरणों की सुनवाई की प्रक्रिया (डायरेक्ट सुनवाई की प्रक्रिया सहित) आदि/कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से समय-समय पर प्राप्त ज्ञापनों/परिपत्रों तथा उनके संबंध में समय समय पर कार्यालय द्वारा जारी परिपत्रों/ज्ञापनों/विविध आदेशों आदि के अलावा/उनके सातत्य में निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश जारी किये जाते हैं :-

01. लॉकडाउन की अवधि में समस्त न्यायाधीशगण समस्त अर्जेंट प्रकरणों की सुनवाई केवल और केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग आदि के माध्यम से ही करेंगे, अन्यथा नहीं।
02. यदि उक्त माध्यम से सुनवाई नहीं की जाती है/की जाना संभव नहीं है और डायरेक्ट सुनवाई की जाती है तो संबंधित अधिकारी अपनी आदेश पत्रिका में उन परिस्थितियों/कारणों आदि का विस्तृत रूप से उल्लेख करेंगे कि क्यों/किन कारणों से/किन परिस्थितियों में उक्त माध्यम से सुनवाई संभव नहीं थी और इसलिये डायरेक्ट सुनवाई की गई।
03. अर्जेंट प्रकरणों की सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेज आदि केवल ईमेल/व्हाट्सअप आदि के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे, अन्यथा नहीं। यदि आवेदन मय दस्तावेज आदि ईमेल/व्हाट्सअप आदि के माध्यम से अन्यथा डायरेक्ट प्राप्त किया जाता है तो संबंधित अधिकारी अपनी आदेश पत्रिका में उन परिस्थितियों/कारणों आदि का विस्तृत रूप से उल्लेख करेंगे कि क्यों/किन कारणों से/किन परिस्थितियों में उक्त माध्यम से आवेदन आदि प्राप्त किया जाना संभव नहीं था और इसलिये आवेदन आदि डायरेक्ट प्राप्त किया गया।
04. संबंधित न्यायिक अधिकारी अर्जेंट प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत दिनांक की सूचना संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार आदि को ईमेल/व्हाट्सअप आदि के माध्यम से देगा।
05. संबंधित न्यायिक अधिकारी अर्जेंट प्रकरण में पारित आदेश को तत्काल सी.आई.एस. पर अपलोड करेंगे एवं आदेश संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार आदि को ईमेल/व्हाट्सअप के माध्यम से संसूचित करेंगे।
06. समस्त न्यायिक अधिकारीगण वीडियो कांफ्रेंसिंग आदि के माध्यम से अर्जेंट प्रकरणों की सुनवाई आदि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर, द्वारा दि.15.04.2020 को जारी "वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं ई-फाईलिंग गार्डलाइन्स" का जिला स्थापना स्तर पर यथा संभव यथा प्रयोज्य अनुसार लागू करते हुए पालन सुनिश्चित करेंगे।
07. वीडियो कांफ्रेंसिंग के तकनीकी बिन्दुओं/समस्याओं के निराकरण/सुचारु संचालन के संबंध में पूर्व में सिस्टम आफ्फिसर/असिस्टेंट सिस्टम आफ्फिसर एकल संपर्क बिन्दु(Single point of contact)/के हेल्प लाइन नंबर अधिसूचित किये जा चुके हैं।
08. अतः वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अर्जेंट प्रकरणों की सुनवाई के सुचारु रूप से संचालन हेतु उक्त संबंध में आने वाली अन्य प्रशासनिक/न्यायिक समस्याओं आदि के निराकरण के संबंध में निम्न न्यायिक अधिकारीगण एकल संपर्क बिन्दु(Single point of contact) /हेल्प लाइन नंबर नियुक्त किये जाते हैं -

: एकल संपर्क बिन्दु (Single point of contact) / हेल्प लाइन नंबर :-

- A - जिला मुख्यालय कटनी – जिला न्यायालय कटनी की E-mail ID -
dcourtkat-mp@nic.in
श्री अजय प्रकाश मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज)
E-mail ID - ap.mishra@mphc.in
मोबाइल नं. 8989270001(व्हाट्सअप नं.)
- B - तहसील विजयराघवगढ़ –की E-mail ID- vijayraghavghahr@mphc.in,
श्री रामसहारे राज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विजयराघवगढ़
E-mail ID - rs.raj@mphc.in
मोबाइल नं.9479379789 (व्हाट्सअप नं.)
- C - तहसील बरही – श्री आर.पी.सेवतिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,बरही
E-mail ID - rp.savetiya@mphc.in
मोबाइल नं. 7089715343 (व्हाट्सअप नं.)
- D - तहसील ढीमरखेड़ा –श्री चौधर सिंह सैयाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी, ढीमरखेड़ा
E-mail ID - cs.shyammpmc.in
मोबाइल नं. 9630718846(व्हाट्सअप नं.)

09. उक्त एकल संपर्क बिन्दु (Single point of contact) / हेल्प लाइन नंबर माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर एवं जिला न्यायालय कटनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किये जावे।



(अचल कुमार पालीवाल)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी
कटनी, दि.16.04.2020

पृष्ठांकन क्रमांक : /2020

- प्रतिलिपि :- 01. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. जिला मजिस्ट्रेट, कटनी, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. पुलिस अधीक्षक, कटनी, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. श्री अजय प्रकाश मिश्र, विशेष न्यायाधीश, कटनी, श्री रामसहारे राज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विजयराघवगढ़, जिला कटनी, श्री आर.पी.सेवतिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बरही जिला कटनी, श्री चौधर सिंह सैयाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ढीमरखेड़ा जिला कटनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कटनी, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
06. समस्त न्यायिक अधिकारीगण जिला न्यायालय, कटनी, तहसील बरही / वि.गढ़ / ढीमरखेड़ा, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
07. अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय कटनी / बरही / वि.गढ़ / ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
08. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर / जिला कम्प्यूटर कमेटी / सिस्टम आफिसर / असिस्टेंट सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय कटनी एवं प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर, असिस्टेंट सिस्टम आफिसर तहसील बरही / वि.गढ़ / ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
09. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर / जिला कम्प्यूटर कमेटी / सिस्टम आफिसर / असिस्टेंट सिस्टम आफिसर / प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय कटनी, की ओर समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय कटनी, तहसील बरही / वि.गढ़ / ढीमरखेड़ा को ईमेल / व्हाट्सअप गुप आदि के माध्यम से सूचित करने हेतु,

10. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर/जिला कम्प्यूटर कमेटी/सिस्टम आफीसर/असिस्टेंट सिस्टम आफीसर जिला न्यायालय कटनी की ओर माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर एवं जिला न्यायालय कटनी की वेबसाइट पर उक्त समस्त एकल संपर्क बिन्दु(Single point of contact) /हेल्प लाईन नंबर (जिला मुख्यालय कटनी एवं समस्त बाह्यवर्ती न्यायालयों के) अपलोड/प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
11. उप संचालक अभियोजन/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित।
12. जनसंपर्क अधिकारी,कटनी की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
13. अधीक्षक, जिला जेल कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अचल कुमार पालीवाल)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)